



IRCON INTERNATIONAL LIMITED

POLICY ON
MATERIAL SUBSIDIARY

(Updated in January 2025)

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

POLICY ON MATERIAL SUBSIDIARY

1. INTRODUCTION

This Policy has been formulated in accordance with regulation 16(1)(c) and regulation 24, 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time (hereinafter referred to as “**Listing Regulations**”).

2. OBJECTIVE

This Policy of Ircon International Limited (hereinafter referred to as “the Company” or “Ircon”) deals with the determination of Material Subsidiaries of Ircon to comply with the Listing Regulations.

3. DEFINITIONS

- i. “**Act**” means the Companies Act, 2013 including any statutory modification or re-enactment thereof.
- ii. “**Audit Committee**” means the committee constituted by the Board of Directors of the Company in accordance with section 177 of the Act and Regulation 18 of the Listing Regulations.
- iii. “**Board**” means the Board of Directors of Ircon, as constituted from time to time.
- iv. “**Independent Director**” means a director of the Company, as defined in Section 2 (47) of the Act and Regulation 16 (b) of the Listing Regulations.
- v. “**Listing Regulations**” means the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time.
- vi. “**Material subsidiary**” mean a subsidiary, whose turnover or net worth exceeds ten percent of the consolidated turnover or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.
- vii. “**Material Unlisted Subsidiary**” shall mean an unlisted material Subsidiary.
- viii. “**Subsidiary Company**” shall mean a company defined as a subsidiary company as defined under Section 2 (87) of the Act.
- ix. “**Unlisted Subsidiary**” means Subsidiary whose securities are not listed on any recognized Stock Exchanges.

Any other word(s) used in this policy but not defined herein shall have the same meaning as defined in the Act including any statutory modification or re-enactment thereof or Rules made there-under, Listing Regulations and the rules and regulations made there – under or any other relevant legislation / law applicable to the Company.

4. POLICY- CRITERIA FOR DETERMINING MATERIAL SUBSIDIARY

A subsidiary will be deemed as a Material Subsidiary whose turnover or net worth exceeds ten percent of the consolidated turnover or net worth respectively, of Ircon and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.

5. CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS WITH RESPECT TO SUBSIDIARIES OF THE COMPANY

1. At least one Independent Director on the Board of Ircon shall be a director on the Board of the Unlisted Material Subsidiary whether incorporated in India or not.

Explanation: For this purpose, “**Material Subsidiary**” means a subsidiary, whose turnover or net worth exceeds twenty percent of the consolidated turnover or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.

2. The Audit Committee of the Company shall also review the financial statements and the investments made by the Unlisted Subsidiary Company along with the financial statements.

3. The minutes of the Board meetings of the Unlisted Subsidiary Company shall be placed at the Board meeting of the Company at regular intervals.

4. A statement of all significant transactions and arrangements entered into by the Unlisted Subsidiary Company shall be brought to the notice of the Board of Directors of Ircon on periodic basis.

Explanation- “Significant transaction or arrangement” shall mean any individual transaction or arrangement that exceeds or is likely to exceed 10% of the total revenues or total expenses or total assets or total liabilities, as the case may be, of the unlisted subsidiary for the immediately preceding accounting year.

5. Ircon shall not dispose of shares in its Material Subsidiaries, resulting in reduction of its shareholding (either on its own or together with other Subsidiaries) to less than or equal to 50% or cease the exercise of control over the Subsidiary without passing a special resolution in its general meeting except in cases where such divestment is made under a scheme of arrangement duly approved by Court/Tribunal or under a resolution plan duly approved under section 31 of the Insolvency Code and such event is disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved.

6. Selling, disposing and leasing of assets amounting to more than twenty percent of the assets of Ircon’s Material Subsidiaries on an aggregate basis during a financial year, shall require prior approval of shareholders by way of special resolution unless the sale/disposal/lease is made under a scheme of arrangement duly approved by a Court/Tribunal or under a resolution plan duly approved under section 31 of the Insolvency Code and such event is disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved.

Nothing contained in this clause shall be applicable if such sale, disposal or lease of assets is between two wholly-owned subsidiaries of Ircon.

7. Material Unlisted Subsidiaries incorporated in India shall undertake secretarial audit by a Secretarial Auditor who shall be a Peer Reviewed Company Secretary and shall annex a Secretarial Audit Report in such form as specified, with the annual report of Ircon.

6. DISCLOSURE

Copy of this policy shall be placed on the website of the Company and a web link thereto shall be provided in the Annual Report of the Company.

7. AMENDMENT

The Board of Directors may review or amend this policy, in whole or in part, from time to time as per the requirement of the Act or any other statute.

However, any amendment in the Policy required in compliance with the Listing Regulations or any statutory enactment, Chairman & Managing Director of the Company is empowered to approve such amendment.

8. GENERAL

Notwithstanding anything contained in this policy, the Company shall ensure compliance with any additional requirements as may be prescribed under any laws/regulations either existing or arising out of any amendment to such laws/regulations or otherwise and applicable to the Company, from time to time.

In the event of any conflict between the provisions of this Policy and of the Act or Listing Regulations or any other statutory enactments, rules, the provisions of such Act or Listing Agreement or statutory enactments, rules shall prevail over this Policy. Any subsequent amendment/ modification in the Listing Regulations, Act and/or applicable laws in this regard shall automatically apply to this Policy.



इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

सामग्री सहायक पर नीति
(जनवरी 2025 में अद्यतन किया गया)

सामग्री सहायक पर नीति

1. परिचय

यह नीति समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(ग) और विनियम 24, 24क के अनुसार तैयार की गई है (जिसे आगे "**सूचीबद्धता विनियम**" कहा जाएगा)।

2. उद्देश्य

यह नीति इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे आगे "**कंपनी**" या "**इरकॉन**" कहा जाएगा) की सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण से संबंधित है, जिससे सूचीबद्ध नियमों का पालन किया जा सके।

3. परिभाषाएँ

- i. "**अधिनियम**" का तात्पर्य 2013 का कंपनियां अधिनियम है, जिसमें इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः निर्माण को शामिल किया गया है।
- ii. "**लेखापरीक्षा समिति**" का तात्पर्य वह समिति है, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अधिनियम की धारा 177 और सूचीबद्ध नियमों के विनियमन 18 के अनुसार गठित किया गया है।
- iii. "**निदेशक मंडल**" का तात्पर्य इरकॉन का निदेशक मंडल है, जो समय-समय पर गठित होता है।
- iv. "**स्वतंत्र निदेशक**" का तात्पर्य कंपनी का वह निदेशक है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (47) और सूचीबद्ध नियमों के विनियमन 16 (b) में परिभाषित किया गया है।
- v. "**सूचीबद्ध नियम**" का तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- vi. "**सामग्री सहायक कंपनी**" का तात्पर्य वह सहायक कंपनी है, जिसका व्यवसाय या निवल मूल्य सूचीबद्ध संस्था और उसकी सहायक कंपनियों के संकलित व्यवसाय या निवल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक होता है, तत्काल पिछले लेखा वर्ष में।
- vii. "**सामग्री असूचीबद्ध सहायक कंपनी**" का तात्पर्य वह अनलिस्टेड सामग्री सहायक कंपनी है।
- viii. "**सहायक कंपनी**" का तात्पर्य वह कंपनी है, जिसे अधिनियम की धारा 2 (87) के तहत सहायक कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ix. "**असूचीबद्ध सहायक कंपनी**" का तात्पर्य वह सहायक कंपनी है, जिसकी प्रतिभूतियाँ किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हैं।

इस नीति में उपयोग किए गए अन्य शब्दों का अर्थ अधिनियम या सूचीबद्ध नियमों या किसी अन्य संबंधित कानून/विधि के अनुसार होगा।

4. **नीति - सामग्री सहायक कंपनी निर्धारण के लिए मापदंड**
वह सहायक कंपनी सामग्री सहायक कंपनी मानी जाएगी, जिसका व्यवसाय या निवल मूल्य सूचीबद्ध संस्था और उसकी सहायक कंपनियों के संकलित व्यवसाय या निवल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है, तत्काल पिछले लेखा वर्ष में।
5. **कंपनी की सहायक कंपनियों के संबंध में कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताएँ**
6. इरकॉन के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में होना चाहिए, चाहे वह भारत में स्थापित हो या नहीं।
व्याख्या: इस उद्देश्य के लिए, "**सामग्री सहायक कंपनी**" का तात्पर्य वह सहायक कंपनी है, जिसका व्यवसाय या निवल मूल्य सूचीबद्ध संस्था और उसकी सहायक कंपनियों के संकलित व्यवसाय या निवल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक है, तत्काल पिछले लेखा वर्ष में।
7. कंपनी की लेखापरीक्षा समिति को असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेशों और वित्तीय विवरणों की समीक्षा भी करनी चाहिए।
8. अनलिस्टेड सहायक कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त को इरकॉन के निदेशक मंडल की बैठक में नियमित अंतराल पर रखा जाएगा।
9. असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेन-देन और समझौतों का विवरण इरकॉन के निदेशक मंडल के संज्ञान में नियमित रूप से लाया जाएगा।
व्याख्या - "महत्वपूर्ण लेन-देन या समझौता" का तात्पर्य कोई भी व्यक्तिगत लेन-देन या समझौता जो कि असूचीबद्ध सहायक कंपनी के कुल राजस्व, कुल खर्चों, कुल संपत्तियों या कुल देनदारियों का दस प्रतिशत से अधिक हो, जैसा कि संबंधित हो, तत्काल पिछले लेखा वर्ष में।
10. इरकॉन अपनी सामग्री सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी का निपटान नहीं करेगा, जिससे उसकी हिस्सेदारी (स्वयं या अन्य सहायक कंपनियों के साथ मिलकर) 50 प्रतिशत या उससे कम हो जाए, या सहायक कंपनी पर नियंत्रण छोड़ने का निर्णय नहीं लेगा, जब तक कि इसका विशेष संकल्प के माध्यम से सामान्य बैठक में अनुमोदन न किया जाए, सिवाय उन मामलों के जहां ऐसा विमोचन न्यायालय/ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित योजना के तहत किया गया हो या दिवालियापन संहिता की धारा 31 के तहत अनुमोदित समाधान योजना के तहत किया गया हो और यह घटना एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित की जाए।
11. इरकॉन की सामग्री सहायक कंपनियों की संपत्तियों का 20 प्रतिशत से अधिक बेचने, निपटाने और लीज पर देने के मामलों में विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, सिवाय उन मामलों के जहां यह न्यायालय/ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित योजना के तहत किया गया हो या दिवालियापन संहिता की धारा 31 के तहत अनुमोदित समाधान योजना के तहत किया गया हो और यह घटना एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित की जाए।

12. भारत में स्थापित सामग्री अनलिस्टेड सहायक कंपनियों को एक सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा करवाना होगा, जो एक पीयर रिव्यूड कंपनी सचिव होगा और वह एक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इरकॉन की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।

13. प्रकटीकरण

इस नीति की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में इसका वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।

14. संशोधन

निदेशक मंडल इस नीति की समीक्षा कर सकता है या इसे आवश्यकतानुसार संशोधित कर सकता है, जैसे कि अधिनियम या किसी अन्य विधान की आवश्यकता हो।

हालांकि, सूचीबद्ध नियमों या किसी वैधानिक अधिनियम के अनुपालन में इस नीति में किए गए किसी भी संशोधन को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

8. सामान्य

इस नीति में किसी भी बात के बावजूद, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी कानून/नियम के अतिरिक्त आवश्यकताओं का पालन किया जाए, जो समय-समय पर लागू हो।

यदि इस नीति की किसी प्रावधान और अधिनियम या सूचीबद्ध नियमों या किसी अन्य वैधानिक अधिनियम के प्रावधानों में कोई असंगति होती है, तो ऐसे अधिनियम या नियमों के प्रावधान इस नीति पर प्रबल होंगे।